

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री  
अनवान

वादीगण  
1. चन्द्र कुमारी 2 दुर्गा कुमारी पिसरान  
भजनसिंह जाति जाट निवासी मिठडी  
खुर्द हाल गडरा रोड तहसील गडरा  
रोड व जिला बाडमेर।

वनाम


प्रतिवादीगण

1 पदमाराम 2 गिरधरसिंह पिसरान किसानसिंह  
जाति जाट निवासी मीठडी खुर्द तहसील व  
जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 06 / 2022


निर्णय दिनांक :- 19.05.2022



वकील वादीनीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या ..... की उपस्थिति में  
इस वाद में आज तारीख ..... को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया  
जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीनीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मिठडी खुर्द पटवार  
क्षेत्र जसाई तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 10 रकबा 49.16 बीघा व खसरा  
संख्या 25 रकबा 09.09 बीघा भूमि में वादीनीगण का 1/2 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त  
अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त  
किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन  
का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। प्राथमिक डिक्री जारी हो। कमीश्नर  
शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीनीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 19.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा  
लगाकर दी गई।

  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	